कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-03/2024 दिनांक 15/03//2024

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याः वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 14.03.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01- थाना बहरियाबाद पुलिस द्वारा तीन अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर किये गये गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से एक स्कार्पियो वाहन में 12 पेटी (540 पाऊच) देशी शराब तथा एक अदद तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सैदपुर के निकट पर्यवेक्षण में थाना बहरियाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 14.03.2024 को मुखबिर खास की सूचना पर प्यारेपुर चौराहा थाना बहरियाबाद गाजीपुर से एक स्कार्पियो वाहन संख्या UP61F4551 मे 12 पेटी (540 पाऊच मात्रा 108 लीटर) देशी शराब बिहार राज्य ले जाते समय तीन अन्तर्राज्यीय शराब तस्करों को समय करीब 04.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त राजू कुमार उर्फ धर्मेन्द्र बिन्द पुत्र अवधेश बिन्द नि0ग्राम छेबरी थाना रामगढ़ जनपद कैमूर बिहार के कब्जे से एक अदद अवैध तमन्चा .315 वोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार तीनो अभियुक्तगणों के विरुद्ध मु0अ0सं0 22/24 धारा 60 आबकारी अधि0 व धारा 3/25 आयुध अधि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर बरामद वाहन को अन्तर्गत धारा 72 आबकारी अधि0 मे जब्ती की कार्यवाही तथा अभियुक्तगण को मा0न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने की विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पताः-

- रंजीत यादव पुत्र स्व0 सूर्यनाथ यादव उर्फ सहादुर उर्फ नि0ग्राम सद्दान थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र करीब 22 वर्ष

- राजू कुमार पुत्र अवधेश बिन्द नि0ग्राम छेबरी थाना रामगढ़ जनपद कैमूर बिहार उम्र करीब 22 वर्ष
- कृष्णा कुमार पुत्र मुन्ना यादव नि0ग्राम छेबरी थाना रामगढ़ जनपद कैमूर बिहार उम्र करीब 19 वर्ष

बरादमगी का विवरणः-

- 01 अदद तमंचा .315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर अभियुक्त राजू कुमार के पास से
- 12 पेटी देशी शराब कुल 540 पाऊच (108 लीटर)
- एक अदद स्कार्पियो वाहन संख्या UP61F4551

अभियुक्त राजू कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 22/24 धारा 60 आबकारी अधि0 व धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बहिरायाबाद जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 66/2022 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कन्द्वा जनपद चन्दौली बनाम राजू कुमार

अभियुक्त रंजीत यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 22/24 धारा 60 आबकारी अधि0 व धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बहिरायाबाद जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 241/23 धारा 30(A) बिहार मध्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधि0 थाना दुर्गावती जनपद कैमूर बिहार बनाम रंजीत यादव

अभियुक्त कृष्ण कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 22/24 धारा 60 आबकारी अधि0 व धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बहिरायाबाद जनपद गाजीपुर

गिरफ्तारी का स्थान,दिनांक व समयः-

- प्यारेपुर चौराहा थाना बहरियाबाद गाजीपुर से 14.03.2024 को समय 04.30 बजे

02. थाना दुल्लहपुर पुलिस द्वारा 01 बोलेरो पिकअप बिना नम्बर जिसमे 06 राशि बछडा ,01 राशि मृत गाय के साथ बरामद किया गया ।

अपराध तथा अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी भुड़कुड़ा के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 14.03.2024 को थाना दुल्लहपुर पुलिस द्वारा रात्रिगस्त एवं सदिग्ध व्यक्तिओ की चेकिंग के दौरान देवा मोड के पास समय करीब सुबह 3.30 बजे एक बोलेरो पिकअप बिना नम्बर पकडा गया जिसमे 06 राशि बछडा ,01 राशि मृत गाय बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय मु0अ0सं0 29/24 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधि0 429 भादवि बनाम 02 व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त

02 व्यक्ति अज्ञात

बरामदगी

एक अदद् बोलेरो पिकअप बिना नम्बर प्लेट

1. 01 राशि मृत्यु गाय

2. 06 राशि बछडा

03. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 14 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा ’ ।

दिनांक 14.03.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना गहमर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 147/148/149/307/323/325/504/506/452/427 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में 14 नफर अभियुक्तगण 1 .बिनोद उर्फ मुन्ना सिंह पुत्र बालमिकी सिंह 2 .संतोष सिंह पुत्र भैरो सिंह 3 .अशोक सिंह पुत्र भैरो सिंह 4 .साकेत सिंह उर्फ टिंकू पुत्र वशिष्ठ सिंह 5 .भीम सिंह पुत्र कन्हैया सिंह 6 .मदन सिंह पुत्र कन्हैया सिंह 7 .टिपू उर्फ अमिलेश पुत्र अभिमन्यु 8 .धन्नजय उर्फ गौरव सिंह पुत्र अभिमन्यु सिंह 9 .मनोज सिंह पुत्र राम बिहारी सिंह 10 .टन्टू उर्फ मन्जीत पुत्र वंशीधर सिंह 11 .अजय सिंह पुत्र हृदयनरायण सिंह 12 .डब्बू सिंह पुत्र लोरारी सिंह 13 .वशिष्ठ सिंह पुत्र काशीनाथ 14 .झिन्टू उर्फ सन्टू पुत्र जगतनरायण सिंह समस्त निवासीगण ग्राम सेवरई थाना गहमर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 147/323/149/427/149/504 भादवि में 06-06 माह का साधाराण कारावास, धारा 148/506 भादवि में 01-01 वर्ष का साधारण कारावास , धारा 325/149/452/149 भादवि में 03-03 वर्ष का साधारण कारवास व 5000-5000 रू0 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा 307/149 भादवि में 04 वर्ष का साधारण कारवास व 5000 रू0 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर